विचार बिन्दु

कुटुंब की चिंता से परेशां व्यक्ति की कुलीनता, शील और गुण कच्चे घड़े में रखे पानी की तरह है। –संस्कृत सूक्ति

एसआईआर के सम्बन्ध में चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व तथा इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वालों का कर्त्तव्य

देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सफलता शुद्ध त्रुटिहीन मतदाता सूची पर निर्भर है। भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया है। संवैधानिक के अनुच्छेद 324 में सांसदों और विधायकों के संवैधानिक पदों पर निर्वाचन के लिये मतदाता सूची को तैयार करने व निर्वाचन को संचालित करने, निर्देशन और नियंत्रण का पूर्ण अधिकार/कर्त्तव्य दिया है। अनुच्छेद 326 में यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदान करने का अधिकार केवल नागरिकों को दिया है।

एसआईआर की सम्पूर्ण प्रक्रिया बिहार में पूरी हो चुकी है और बिहार के चुनाव भी शान्ति के साथ पूरे हो चुके हैं। फिर भी एसआईआर के विषय में उसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस चल रही है। हाँ सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने बहस के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनावों की असंगति की कोई शिकायत अभी तक किसी भी मतदाता ने या याचिकाओं के प्रार्थियों ने चुनाव आयोग के समक्ष अथवा चुनाव याचिका के माध्यम से पेश नहीं की है।

देश में सभी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। इसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकायें पेश हो चुकी हैं। इन सब में वही कानूनी बिन्दु उठाये गये हैं जो बिहार के केस में थे। यह भी सत्य है कि नई याचिकाओं में वैधता की चुनौती के अतिरिक्त कर्मचारियों की कार्यशैली की कई शिकायतें पाई गई हैं। कई बीएलओ की हार्ट अटैक से मौतें भी हुई हैं और कुछ कर्मचारियों ने वर्कलोड को लेकर आत्महत्या की है, कुछ व्यक्ति कार्य के बोझ से मानसिक रूप से पीडित बतलाये गये हैं।

बिहार की याचिकाओं में जो कानूनी प्रश्न उनकी वैधताओं के बाबत उठाये थे वे भी पुनः नये केसों में उठाये गये हैं। यह प्रश्न उठाया गया है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है अतः उसके कार्य के सम्बन्ध में Judicial Review नहीं हो सकता तथा स्पेशल रेफरेन्स केस में जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर के अधिकारों को लेकर, प्रश्नों द्वारा उनकी समीक्षा चाही थी उस केस के आदेश/उत्तर में माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गवर्नर का पद संवैधानिक पद है और इनके निर्णय जूडिशियल रिव्यू से परे है।

एसआईआर का विवाद कोर्ट में है, यही विवाद सड़कों पर भी जुलूस व नारों के रूप में देखा जा सकता है तथा संसद में भी वर्तमान सत्र में सुनने को मिला है। न्यूज पेपर भी ऐसे विवाद की चर्चाओं से भरे हुये हैं।

शीघ्र निर्णय की प्रतीक्षा में जनता तमाशा देख रही है। समय-2 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश ऐसे दिये हैं उनसे राहत अवश्यक मिली है। इस समस्या का हल सुप्रीम कोर्ट को ही निकालना है। राहत का यह कार्य माननीय कोर्ट निर्णय, आदेश व निदेशनों के माध्यम से कर रही है।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है उसे चुनावों के सम्बन्ध सम्पूर्ण अधिकार व दायित्व दिये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका विशद उल्लेख है तथा अनुच्छेद 324(6) में यह व्यवस्था है कि जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल निर्वाचक आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारी वृन्द उपलब्ध करायेगा जितने अनुच्छेद 324 के खण्ड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक है। विधानसभा के चुनाव कराने के हेतु राज्यपाल यह कार्य उनकी सरकार के माध्यम से कराते हैं। इस प्रकार एसआईआर की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने क हेतु राज्य सरकार अथवा इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे गये राज्य कर्मचारी (बीएलओ) हैं, जिनकी डयूटी है कि वे अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन करें।

सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ, जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त व न्यायाधीश जॉय माल्या से गठित है, उसने तमिलागा कज़गम बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया व अन्य के केस WP(C) NO.1157/2025 में बीएलओ द्वारा डयूटी के सम्बन्ध उठाई गई दिक्कतों के सम्बन्ध में कुछ निदेशन दिये हैं वे महत्वपूर्ण हैं और उचित कदम उनके निराकरण के हेतु राज्य सरकार/चुनाव आयोग को उठाने ही चाहिये। वे अन्तरिम निदेशन हैं, क्योंकि अन्तिम निर्णय तो बहस पूरी सुनने के बाद ही दिये जावेंगे। माननीय खण्डपीठ ने जो अन्तरिम निदेशन दिये हैं वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं:-

संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है।

(1) जो कर्मचारी राज्य सरकार/राज्य चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत् चुनाव सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के तहत् अपनी डयूटी निभाने के हेतु डेपुट किये हैं, उनका यह कर्त्तव्य कि वे अपनी डयूटी का निर्वाहन करें।

(2) यदि कोई बीएलओ (कर्मचारी), किसी विशिष्ट कारण से अपनी डयूटी उपस्थिति से Exemption की प्रार्थना करता है तो सक्षम अधिकारी कर्मचारी के प्रार्थना पर विचार करेगा और उसके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को डयूटी पर लगायेगा, ऐसी प्रत्येक स्थिति पर अलग से विचार होगा, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं होगा कि सक्षम अधिकारी ने उसके स्थान पर नये कर्मचारी को नहीं लगाया है तो वह व्यक्ति यह अर्थ नहीं लगायेगा कि उसे अधिकारी ने ॅपजीकतूं कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशन में यह स्पष्ट कहा है कि राज्य को कर्मचारी को डयूटी पर लगाना वैधानिक कर्त्तव्य है और राज्य की यह भी डयूटी है कि चुनाव के कार्य को पूरा करने के हेतु कर्मचारियों की संख्या में कमी अथवा बढ़ोत्तरी करे।

(3) मननीय कोर्ट ने यह भी माना है कि जिन व्यक्तियों (कर्मचारियों) की मृत्यु नौकरी के समय एसआईआर प्रक्रिया के निर्वाहन के समय हुई है, उन्हें क्या हर्जाना मिलेगा, इस बाबत तत्सम्बन्धित व्यक्ति (Aggrieved person) अथवा पिटीशनर बाद में प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं।

(4) पिटीशनर TVK के वरिष्ठ एडवोकेट ने कोर्ट के समक्ष चिन्ता व्यक्त की कि ऐसे बीएलओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही धारा 32 आर पी एक्ट के तहत् की जा रही है जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया की समुचित ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, इस प्रकार बीएलओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना Coercive Action है। कई उदाहरणों के द्वारा अपनी बात को रखते हुये सुयोग अधिवक्ता ने कहा कि यह बीएलओ ने छुट्टी के हेतु प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी शादी होने वाली है, उसे निलम्बित कर दिया गया और निराशा की स्थिति में उस कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। खण्डपीठ ने कुछ ही शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी। कोर्ट का इशारा था कि दण्डात्मक कार्य भी ऐसी परिस्थितियों में अमानवीय है, सक्षम अधिकारी में मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए, उसे ऐसा करने से गुरेज करना चाहिये।

(5) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा कि यह सच है चुनाव आयोग स्वंय कार्य नहीं कर सकता और यही कारण है उसे राज्य के कर्मचारियों से यह काम कराना होता है, अतः राज्य को अपने कर्त्तव्यों की पालना करनी है, इसलिये यदि किसी व्यक्ति की कोई कठिनाई है तो उसे डयूटी से छूट दी जानी चाहिये। एफआईआर रजिस्टर कैसे की जा सकती है? विलम्ब हो सकता है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा जल्दी क्या है?

चुनाव आयोग के वरिष्ठ एडवोकेट मनीन्दर सिंह ने कहा कि तामिलनाडु में 90: फॉर्म दिये जा चुके हैं तथा क्रिमिनल प्रक्रिया उसी स्थिति में चालू की है जहां बीएलओ ने जान-बूझकर अपनी डयूटी देने से मना किया था।

ये कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने दिये हैं। आशा है भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी और एसआईआर की प्रक्रिया मानवीय संवेदना के साथ संवैधानिक व चुनाव कानून के अनुसार पूरी की जावेगी।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और सभी नागरिकों का पावन कर्त्तव्य है कि वे अनुच्छेद 51क(क) में दिये गये मूल कर्त्तव्यों के अनुसार उसकी करें। एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार सम्पन्न कराना चुनाव आयोग का संविधान कर्त्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद भारत के नागरिक को वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार है। अतः बांग्लादेश से अथवा म्यांमार से भारत में आये हुये व्यक्ति मतदान का अधिकार क्लेम नहीं कर सकते, आधार कार्ड, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिनका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। बंगाल एसआईआर का प्रथम चरण लगभग पूरा हो चुका है। 7.6 करोड़ मतदाताओं के नामों का डिजिटिकरण हो चुका है। 28 से 30 लाख मतदाता को सक्षम अधिकारी के समक्ष साबित करना होगा उन्हें मतदान का अधिकार है जबकि उनके नाम के प्रमाण 2002 की मतदाता सूची से मेल नहीं खाते। इन्हें नोटिस दिये जा चुके हैं। 54.6 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है, वे मृतक भी हो सकते हैं अथवा कई डुप्लीकेट नाम हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी बंगाल के बीएलओ के साथ असहयोग करने वालों के विरूद्ध सख्त अभिव्यक्ति की है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि हालात बिगड़े तो संविधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि राज्य पुलिस को अपने अधिकार में ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट देशभर में होने वाली एसआईआर प्रक्रिया पर विचार कर रही है। चुनावों व एसआईआर पर बहस भी संसद में पूरी हो चुकी है।

W.P.(C) No.000640/2025 में दिनांक 10.12.2025 की बहस में कई प्रश्न उठाये गये। खण्डपीठ ने स्वंय भी कई प्रश्न उठाये हैं, बहस चल रही है।

आईये सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करें तथा चुनाव सुधारों पर देश भर में चर्चा हो, नया चुनाव सुधार कानून बने और देश तीसरी शक्ति बनकर अपनी छवि संसार के समक्ष पेश करे।

सबको सन्मति दे भगवान।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

रफ्तार का नशा, कानून की हार और सड़कों पर चलता थार का अहंकार

सुनील दत्त गोयल

भारत की सड़कों पर आज एक खतरनाक लेकिन मौन युद्ध चल रहा है-अहंकार और संवेदना का, रफ्तार और जीवन का। रोज़ाना सैकड़ों दुर्घटनाएँ, हजारों जानें और अनगिनत परिवार, इस नए सड़क-संस्कृति के शिकार बन रहे हैं। भारी-भरकम एसयूवी -आर्माडा, आर्माडा ग्रैंड, स्कॉर्पियो, बोलेरो, और नई पीढ़ी की अत्यंत लोकप्रिय एसयूवी 'थार' - अब सिर्फ गाड़ियाँ नहीं रहीं; वे सामाजिक सत्ता और सड़क पर प्रभुत्व का प्रतीक बन चुकी हैं। समस्या वाहन की क्षमता नहीं है। समस्या उस मानसिकता की है, जो यह मान बैठी है कि ताकतवर गाड़ी का मतलब ताकतवर अधिकार है।

एसयूवी में बैठते ही कई लोग एक झूठी श्रेष्ठता महसूस करने लगते हैं- मानो सड़क उनकी निजी जागीर हो और कानून बाकी दुनिया के लिए लिखा गया हो। यह मानसिकता ही दुर्घटनाओं को 'हादसा' नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें 'अपराध' में बदल देती है।

गाड़ी की ताकत नहीं, चालक की सोच खतरनाक है

भारत में यह भ्रम तेजी से फैल रहा है कि बड़ी गाड़ी का मतलब बड़ी हैसियत है। लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। अमेरिका जैसे देशों में हमर जैसी सैन्य स्तर की एसयूवी सड़कों पर सहज रूप से चलती हैं, लेकिन उनकी संस्कृति यह सिखाती है कि वाहन जितना शक्तिशाली होगा, उसकी जिम्मेदारी उतनी बड़ी होगी। वहीं भारत में यही शक्ति कई बार अहंकार का आधार बन जाती है। चालक समझता है कि वाहन की मजबूती उसे कानून से भी ऊपर उठा देती है।

और इसका परिणाम हम रोज़ देखते हैं। दुर्घटना के बाद मदद करना तो दूर, लोग मोबाइल कैमरा निकालकर वीडियो बनाते हैं, रील तैयार करते हैं और सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए अपलोड कर देते हैं। यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं- यह समाज के नैतिक चरित्र का ऐसा पतन है जो डराता भी है और शर्मिंदा भी करता है।

ओवरस्पीडिंग: देश का नंबर-1 कातिल

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का सबसे बड़ा कारण ओवरस्पीडिंग है- जो कुल मौतों का लगभग 70 प्रतिशत है। यह संख्या भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक यातायात वाले देशों में खड़ा कर देती है। विडंबना यह है कि जिस चीज़ से सबसे ज्यादा जानें जा रही हैं, उसी को हम तेज़ी से ग्लैमराइज भी कर रहे हैं।

आज के विज्ञापन रफ्तार को सफलता, ताकत, मर्दानगी और रुतबे का प्रतीक बनाकर बेच रहे हैं। 0 से 100 कुछ सेकंड में, फास्टेस्ट इन द सेगमेंट, अनलिमिटेड पावर जैसी पंक्तियाँ युवाओं को यह संदेश देती हैं कि जिम्मेदारी नहीं, रफ्तार ही उपलब्धि है। जब गाड़ी को रेसिंग मशीन की तरह प्रचारित किया जाता है, तो चालक स्वाभाविक रूप से उसे रेसिंग मशीन की तरह चलाने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित कर लेता है।

कानून 120 बोलता है, विज्ञापन 300 चिल्लाते हैं

यह विरोधाभास बेहद खतरनाक है कि भारत में अधिकतम कानूनी गति सीमा 100-120 / है, लेकिन बाजार में 250-300 / की क्षमता वाली गाड़ियाँ बेची जाती हैं। यह सवाल उठना ही चाहिए कि यदि सड़कें और कानून इतनी रफ्तार के लिए बनाए ही नहीं गए, तो फिर कंपनियों को ऐसी गाड़ियाँ क्यों बनाने दी जाती हैं?

सरकार सड़क सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करती है, जागरूकता अभियान चलाती है, और दूसरी ओर गाड़ियों के विज्ञापन जनता को यह बताकर आकर्षित करते हैं कि तेज़ गाड़ी चलाना शक्ति का प्रमाण है।

कानून कहता है, धीरे चलो; विज्ञापन कहते हैं, तेज़ दौड़ाओ। इस दोहरी नीति ने विशेषकर युवाओं के मन में यह भ्रम पैदा कर दिया है कि तेज़ चलाना किसी कौशल का प्रमाण है, जबकि धीमी गति दुर्बलता का प्रतीक।

भारत सरकार ने सख़्त कानून बनाए- लेकिन लागू नहीं होने दिए गए

2020 में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा सुधार माना गया। भारी जुर्माने, त्वरित लाइसेंस निलंबन और दोबारा अपराध पर जेल जैसी व्यवस्थाओं ने शुरुआत में अच्छा असर भी दिखाया। कई राज्यों में दुर्घटनाएँ 5-12 प्रतिशत तक कम हुईं। ऐसा लगा कि भारत अब सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ रहा है।

लेकिन जैसे ही कानून सख़्ती से लागू होने लगा, राजनीतिक दबाव, ट्रांसपोर्ट लॉबी का विरोध, और जनता की नाराज़गी के नाम पर कई राज्यों ने कानून को कमजोर कर दिया। कुछ राज्यों ने जुर्माने घटा दिए, कुछ ने नियमों को ढीला कर दिया, और कुछ ने इसे पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस तरह कानून कागजों में सख्त रहा, लेकिन जमीन पर उसका असर खत्म हो गया। अपराधी वर्ग को यह साफ संदेश मिला कि कानून बनेगा जरूर, लेकिन लागू नहीं होगा। जब सज़ा का डर खत्म हो जाता है, तो अपराध सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि सामान्य व्यवहार बन जाता है।

गाड़ी का बढ़ना समस्या नहीं, विवेक का घटना समस्या है

एसयूवी का इतिहास भारत में नया नहीं है। आर्माडा, आर्माडा ठौंड, बोलेरो, स्कॉर्पियो- ये सभी गाड़ियाँ दशकों से सड़कों पर हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग और सड़क पर दादागिरी का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों में तीव्र हुआ है। इसका सीधा संबंध उस सामाजिक मानसिकता से है, जो गाड़ी की ऊँचाई को व्यक्तिगत श्रेष्ठता का प्रमाण मान लेती है। समस्या वाहन की बनावट में नहीं है; समस्या उस मनोविज्ञान में है जो गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी की बजाय शक्ति-प्रदर्शन का साधन मान लेती है।

जब व्यक्ति अपने वाहन को दूसरों पर प्रभाव जमाने का उपकरण बना लेता है, तो वह सड़क को सार्वजनिक स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अखाड़ा समझने लगता है। यही वह बिंदु है जहाँ गाड़ी एसयूवी नहीं रहती-वह सड़क पर चलती हुई धमकी बन जाती है।

समाधान जागरूकता में नहीं, निर्णायक कार्रवाई में है

भारत में सड़क सुरक्षा सुधार अब केवल जागरूकता अभियानों, पोस्टरों और स्लोगनों से आगे बढ़कर गहरे, निर्णायक और निरंतर कानून-प्रवर्तन की मांग करता है। सड़क सुरक्षा का अर्थ यह नहीं कि केवल चालकों को समझाया जाए; इसका अर्थ यह है कि समाज, कानून-व्यवस्था, उद्योग और सरकार सभी मिलकर जिम्मेदार व्यवहार को अनिवार्य करें।

सख़्त प्रवर्तन-जैसे तेज़ रफ्तार पर तत्काल चालान, लाइसेंस का निलंबन, दोहराए गए अपराध पर जेल और रोड रेज को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखना- तभी प्रभावी होंगे जब ये नियम सभी पर समान रूप से लागू किए जाएँ और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त हों।

अंत में - स्टीयरिंग हाथ में है, पर ज़िंदगी नहीं

जब किसी व्यक्ति के भीतर स्वयं की सुरक्षा की गारंटी का भाव होता है - जैसे मन में पुलिस की वर्दी, वकील की वर्दी, बड़ी गाड़ी में बैठा बड़ा आदमी होने का एहसास, या महिला होने के नाते दहेज-विरोधी कानून या एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण, या फिर अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़े एट्रोसिटी अधिनियमों का सहारा - तो ये सब कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष को एक सुरक्षा का आवरण अवश्य प्रदान करते हैं।

और इसी सुरक्षा के आवरण के भीतर ही छुपी होती है उसकी क़ानूनी दुर्गति, उसका दुरुपयोग और उसका अहंकार। बाद में, ऐसे व्यक्ति विशेष में यह भाव हमेशा बना रहता है कि वह अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।

और यह भावना केवल उनमें ही नहीं, बल्कि उन सभी में होती है जो ऐसे कानूनों के सुरक्षा कवच के विशेषाधिकार प्राप्त हैं या हकदार हैं। जिनके बारे में बाद में, एक-एक कर आर्टिकल लिखता रहूंगा।

क्योंकि, थार में बैठा व्यक्ति भी पूर्णतः यह सुरक्षित महसूस करता है कि किसी भी विषम परिस्थिति में वह जिंदा रहेगा, चोटिल नहीं होगा। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाए, तो उसके पास इंश्योरेंस का सुरक्षा कवच है जो उसकी गाड़ी के नुकसान की भरपाई कर देगा। और सामने यदि कोई व्यक्ति मर भी गया, तो भी उसके दायित्वों की पूर्ति इंश्योरेंस कंपनी करेगी।

इस प्रकार, जब किसी व्यक्ति विशेष में सुरक्षा का भाव जागृत होता है, तो वह सामने वाले को असुरक्षित करने से कभी नहीं चूकता।

गाड़ी चाहे स्कॉर्पियो हो, बोलेरो, आर्माडा हो या थार- खतरा वाहन में नहीं, चालक की मनःस्थिति में छिपा है। जो व्यक्ति एसयूवी में बैठते ही खुद को सड़क का राजा समझने लगता है, वह यह भूल जाता है कि सड़क प्रभुत्व दिखाने की जगह नहीं, साझा जीवन-क्षेत्र है। स्टीयरिंग आपके हाथ में है- पर सामने वाले की जिंदगी नहीं। रफ्तार का रोमांच कभी किसी जीवन के मूल्य से बड़ा नहीं हो सकता।

मैं स्वयं कई बार यह सोचता हूं कि शायद आनंद महिंद्रा साहब और उनकी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, तथा उनकी डिज़ाइनिंग टीम ने इतनी खूबसूरत गाड़ी बनाते समय यह नहीं सोचा होगा कि यह गाड़ी भारत की सड़कों पर जानलेवा साबित हो सकती है।

मैं उनसे गुज़ारिश करूंगा, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कंपनी हैं, आप टीवी, मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से एक अपील ज़रूर करें - कि जितने भी लोग इस गाड़ी के स्वामी हैं, वे संयम और संवेदनशीलता बरतें। यह गाड़ी उनकी अपनी सुरक्षा के लिए दी गई है, दूसरों के परिवार उजाड़ने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

भारत अगर सच में डिजिटल इंडिया के साथ जिम्मेदार इंडिया बनना चाहता है, तो सड़क पर संवेदना, अनुशासन और कानून- तीनों को साथ लेकर चलना होगा। तभी हमारी सड़कें अहंकार का मैदान नहीं, सुरक्षित भविष्य का मार्ग बन सकेंगी।

-रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान

क्या मैं केवल निवेशक हूँ - मेरी भाषा मेरी पूंजी है

राजेन्द्र जोशी

राजस्थान में इन दिनों प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित किया जा रहा हैं। उनके लिए राजस्थान ने प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी दिवस निर्धारित किया गया है। और यह आवाह्न किया है कि आप अपने प्रदेश में निवेश कर रोजगार के अवसर पैदा कर विकास में योगदान दे । देश-विदेश में रहने वाले राजस्थानी भी अपनी माटी की ओर आने को आतुर है, प्रवासी राजस्थानी जब अपनी माटी की ओर आ रहे हैं तो वह अपनी भाषा नहीं बोल पाएंगे, अपनी संस्कृति की बात नहीं कर पाएँगे। यह विडंबना है कि निवेश तो वह राजस्थान में करें लेकिन वह अपनी भाषा में निवेश नहीं कर पाएंगे, सैकड़ो प्रवासी राजस्थानी अपने-अपने स्थान से बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि हम दुनिया भर में राजस्थान का डंका बजा रहे हैं, राजस्थान में आने की इच्छा रखते हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर के लोग राजस्थान के लोगों और राजस्थानी भाषा का मान सम्मान कर रहे हैं। परंतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार हमारी मातृभाषा को मान सम्मान कब देगी ।

अच्छा होता कि राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस के दिन सबसे पहले मंच से राजस्थानी भाषा को दूसरी राजभाषा बनाने की घोषणा करती। और भारत सरकार से यह मांग करते कि राजस्थान विधान सभा ने 2003 में आपको सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव भेजा था, राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए उस पर भारत सरकार शीघ्र निर्णय करे।

प्रवासी राजस्थानी दिवस के मंचों पर भाषण देने वाले राजनेताओं और अधिकारियों ने विकास, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे की बात तो भरपूर की, पर राजस्थानी भाषा की औपचारिक मान्यता का मुद्दा लगभग पूरी तरह गायब रहा। किसी ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि जो प्रवासी राजस्थानी अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दिन भारत सरकार राजस्थानी भाषा को मान्यता देकर दुनिया भर में रहने वाले लगभग 12 करोड़ राजस्थानियों को तोहफा देते।

राजस्थानी होने पर गर्व किया जा रहा है, खुद को राजस्थानी बताकर हम सब एक लोक संस्कृति में जिंदगी बिताने का गौरव हासिल किए हुए हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस के दिन लोकसभाध्यक्ष सहित अनेक केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में तो शामिल हुए, लेकिन दुख हुआ जब उनके साथ मंच से बोलने वाले किसी भी राजनेता या अफसर ने राजस्थानी भाषा मान्यता की बात नहीं की। परंतु प्रवासी राजस्थानियों के मन में आज भी भाषा की पीड़ बनी हुई है कि हमारी भाषा को लेकर कोई भी व्यक्ति मंच से बात तक नहीं कर रहा।

यदि उसी क्षण उसकी मातृभाषा मंच से नदारद रहे, उसकी बोली में बोलने-लिखने को प्रतिष्ठा न मिले, तो उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है - क्या मैं केवल निवेशक हूँ?

राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार संकल्पित है। प्रदेशवासी और सभी राजस्थानी भी चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश का शैक्षिणक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि उसके शहर, जिले, प्रदेश और फिर देश का विकास ना हो। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी भाषा साहित्य एवं संस्कृति के माध्यम से ही संभव हैं।

प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे महत्त्वपूर्ण अवसर पर राज्य सरकार मंच से यह घोषणा करती कि राजस्थानी को प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाया जाएगा, या कम-से-कम यह आश्वासन देती कि आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक बार फिर संगठित रूप से भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि ऐसा होता, तो प्रदेश को एक ऐतिहासिक तोहफा होता और प्रवासी राजस्थानी दिवस की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती।

जब इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर मिलेगा, तभी प्रवासी राजस्थानी वास्तव में यह महसूस करेंगे कि वे न केवल अपनी माटी में निवेश कर रहे है, बल्कि अपनी मातृभाषा में भी निवेश कर रहे हैं भाषा की उपेक्षा अंततः उस सांस्कृतिक पूँजी की उपेक्षा है, जो किसी भी प्रदेश को विशिष्ट पहचान और आत्मबल देती है। प्रवासी राजस्थानी की पीड़ा और संभावित रास्ते प्रवासी राजस्थानी आज भी अपने मन में यह पीड़ा लिए हुए हैं कि जिस दिन उनके नाम पर उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन उनकी भाषा पर मौन साध लिया जाता है। यह स्थिति केवल शिकायत करने की नहीं, बल्कि रचनात्मक हस्तक्षेप की माँग करती है।

भाषा की मान्यता विकास के विरुद्ध नहीं, बल्कि विकास की आधारशिला है। निष्कर्ष की जगह एक सवाल राजस्थानी होने पर जो गर्व आज हर राजस्थानी के भीतर जाग रहा है, वह केवल भौगोलिक पहचान नहीं, एक लोक संस्कृति में रचे-बसे जीवन का गौरव है।

-राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद-साहित्यकार

राशिफल शुक्रवार 12 दिसम्बर, 2025

पंडित अनिल शर्मा

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शनिवार प्रातः 5:50 तक, प्रीति योग दिन 11:11 तक, कौलव करण दिन 2:57 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 10:21 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृश्चिक, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज शुक्र वृद्धत्व आरम्भ प्रातः 8:00 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः चर सूर्योदय से 8:28 तक, लाभ-अमृत 8:28 से 11:03 तक, शुभ 12:20 से 1:38 तक, चर 4:18 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:10, सूर्यास्त 5:30 तक

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। समय रचनात्मक कार्यों में व्यतीत होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कन्या
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी और मन में असंतोष बना रहेगा। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी।

मकर
अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग